पत्र सूचना शाखा

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0

सम्मान से अच्छे कार्य की प्रमाणिकता मिलती है-राज्यपाल

लखनऊः 29 अप्रैल, 2019

राय उमानाथ बली प्रेक्षागृह में एक समारोह का आयोजन किया गया जिसमें शिक्षा के लिये मौलाना डॉ0 कल्बे सादिक को, उर्दू और हिन्दी साहित्य के लिये प्रोफेसर फजले इमान को, चिकित्सा शिक्षा के लिये श्री मोहसिन अली खान को, समाजसेवा के लिये पंडित शिवचरन त्रिपाठी को तथा विदेश में उत्कृष्ट स्कॉलरशिप प्राप्त करने के लिये श्री मुर्तजा सरवत तक़ी को 'अवध सम्मान' से सम्मानित किया गया।

सम्मान समारोह का आयोजन अवधनामा ग्रुप ऑफ़ पब्लिकेशन द्वारा किया गया था, जिसमें उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्री राम नाईक को मुख्य अतिथि के रूप में जाना था पर अस्वस्थ होने के कारण कार्यक्रम में नहीं जा सके बल्कि उनके भाषण की वीडियो रिकार्डिंग कार्यक्रम में भेजी गई जहाँ श्रोता उनके विचारों से अवगत हुए। कार्यक्रम में न्यायमूर्ति शबिहुल हसनैन, मौलाना अकील-उल-गरवी, श्री वकार रिजवी, प्रोफेसर अब्बास रजा नय्यर सहित अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

राज्यपाल ने अवधनामा गुरप की सराहना करते हुए कहा कि पत्रकारिता के साथ सामाजिक कार्य करना अनुकरणीय है। योग्य लोगों को सम्मानित कर उन्हें गौरव प्रदान करना श्रेष्ठ सामाजिकता का निर्वाह करने के समान है। इस प्रकार के सम्मान से समाज में अच्छा कार्य करने वालों को उनके अच्छे कार्य की प्रमाणिकता मिलती है तो वहीं दूसरों को इससे प्रेरणा प्राप्त करने का अवसर मिलता है। उन्होंने सभी सत्कार मूर्तियों को हार्दिक बधाई देते हुए कहा कि आप सभी निरन्तर अच्छा कार्य करने की ओर अग्रसर रहें।

श्री नाईक ने कहा कि लोकतंत्र में कार्यपालिका, न्यायपालिका तथा विधायिका के साथ ही चतुर्थ स्तम्भ पत्रकारिता का भी बहुत महत्व है। देश में पत्रकारिता ने स्वाधीनता संग्राम से लेकर समाज के उत्थान तक में अपनी विशिष्ट भूमिका का निर्वहन किया है। राज्यपाल ने 'पीत पत्रकारिता' पर चिन्ता व्यक्त करते हुए कहा कि पत्रकारिता में निष्पक्षता होनी चाहिये। पत्रकार समाज का प्रबोधन करते हैं। उन्होंने कहा कि पत्रकारिता की विशेषता है कि वह अच्छाई व बुराई दोनों ही समाज के सामने प्रस्तुत करते हैं।

राज्यपाल ने कहा कि लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है। मतदाता जनतंत्र के निर्माता हैं। लोकतंत्र में मतदान का अपना महत्व होता है। मतदान किसको करना है यह मतदाता का विशेषाधिकार है। 18 वर्ष की आयु के ऊपर के सभी लोग मतदान अवश्य करें और दूसरों को भी मतदान के लिये प्रेरित करें। उन्होंने कहा कि मतदान के माध्यम से एक आम नागरिक भी सरकार गठन में सहभागी होता है।

अंजुम/रा0/राजभवन (154/30)

अमीरुल मोमिनीन कॉन्फ्रेन्स
28 अप्रैल, 2019 (इतवार)
राय उमानाथ ऑडिटोरियम
कैसरबाग़, लखनऊ
باسمہ تعالیٰ
امیر المومنین کانفرنس
۲۸ر اپریل ۲۰۱۹ء (اتوار)
رائے اماناتھ آڈیٹوریم
قیصر باغ لکھنؤ
ORGANISERS